

प्रेस नोट थाना कैम्पियरगंज दिनांक 02-02-2021

गैंगेस्टर एक्ट का 15000 रु. इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने एवं जनपद के गैंगेस्टर एक्ट के वाँछित / इनामिया अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद गोरखपुर के थाना कैम्पियरगंज के गैंगेस्टर एक्ट के वाँछित/इनामिया अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक उत्तरी व पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज व प्रभारी निरीक्षक कैम्पियरगंज के कुशल मार्गदर्शन में उनि. श्री शम्भू दयाल मिश्रा मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा आज दिनांक 02.02.2021 को मुखवीर की सूचना पर गैंगेस्टर एक्ट के वाँछित/ इनामिया अभियुक्त शाहिद अली पुत्र नवी खान निवासी मोहम्मदपुर उर्फ जंगल बब्बन टोला जंगल बब्बन थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त एक शातिर किस्म के अपराधी है। जो जनपद गोरखपुर में गो-तस्करी जैसी घटनायें कारित किये है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

शाहिद अली पुत्र नवी खान निवासी मोहम्मदपुर उर्फ जंगल बब्बन टोला जंगल बब्बन थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

अभियोग का विवरण जिसमे गिरफ्तारी हुई

- 1.मु.अ.सं. 218/20/20 धारा 3/5क/8 गोवध नि.अधि. व 11 पशुकुरता अधि. थाना कै.गंज जनपद गोरखपुर
2. मु.अ.सं. 866/20 धारा 3/5क/8 गोवध नि.अधि. व 11 पशुकुरता अधि. थाना कै.गंज जनपद गोरखपुर
- 3.मु.अ.सं.001/21 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी दिनांक/ घटनास्थल व समय

02.02.2021 / भौराबारी / 08.25 बजे सुबह

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1.उनि. श्री शम्भू दयाल मिश्रा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. उनि.श्री अतुल कुमार तिवारी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
- 3.आरक्षी प्रवीण कुमार थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
- 4.आरक्षी सुधीर कुमार राय थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर